सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

वित्त नियन्त्रक कार्यालय

पत्रांकः– सवप / 2026 / वि0नि0 / कोटेशन / GST Return / TDS & GST notices / 231

दिनांक :– 30 अक्टूबर, 2026

कोटेशन आमंत्रण–सूचना

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के GST Return, Making reply for TDS & GST notices के कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जोकि विश्वविद्यालय के वित्त नियन्त्रक, सरदार वल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 10 नवम्बर, 2026 तक वित्त नियन्त्रक कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। उक्त कोटेशन को ई–मेल, व्यक्तिगत अथवा कोरियर के माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा। कार्य का विवरण, नियम एवं शर्तें निम्नवत हैः–

S. No.	Work	Rate
1	2	3
01	GST Return	
	Making reply for TDS & GST notices	
	Respectively the University in taxation matters before the related authorities	
	Training of accounts personnel in taxation rules and double entry system on tally software	

Terms & Conditions:-

1. The quoted rate should included all taxes and other charges.
2. Age (from year of establishment as per ICAR Certificate) of the firm should be atleast 05 years.
3. Experience of the firm in handling the Accounting assignment with respect to Government Organization/Authority/Nagar Nigarm etch/Private Limited/Private Company TDS Certificate is necessary.
4. UDI number firm card and firm Certificate issued by ICAI to be attached.
5. Minimum 05 years experience of Accounting work.
6. Turnover of the Firm, Balance Sheet, Profit and Loss A/C, Audit Report during previous 03 financial year's to be enclosed.

अन्य शर्तेः–

1. उक्त कार्य में प्रयुक्त होन वाली स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था सी0ए0 को स्वयं करनी होगी।
2. लेखों की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी।
3. उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट / टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र आदि स्वयं प्राप्त करना होगा।
4. आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार टी0डी0एस0 जानकारी समय–समय पर वित्त नियन्त्रक कार्यालय को देनी होगी।
5. प्रत्येक माह की प्राप्तियों एवं व्यय का समाधान विवरण अगले माह की 07 तारीख तक तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
6. गत वर्ष के लेखों में लम्बित विभिन्न प्रकार की असमायोजित प्रविष्टियों को समायोजित कराने का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
7. आयकर विभाग से प्राप्त नोटिसों का उत्तर तैयार कर प्रस्तुत करना तथा आयकर के अद्यतन नियम / परिवर्तनों से अवगत कराना होगा।
8. विश्वविद्यालय के वित्त नियन्त्रक कार्यालय / अन्य महाविद्यालयों / विभागों के सम्बन्धित कार्मिकों को GST Return, E-TDS return, Compliation of Balance Sheet/etc का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

30/10/26

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियन्त्रक

Finance Officer
S.V.P.U.A. & T.
Meerut-250 110